

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

- क्रमांक प. 9 (4) () वि.प्र.सं.668/छात्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./11/63151-180 जयपुर, दिनांक (9-8-11)
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
 3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
 4. निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
 5. प्राचार्य, राजकीय कॉलेज, जिला
 6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक
 7. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज,
 8. प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक/ महिला पोलीटेक्निक कॉलेज,
 9. प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज,
 10. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

विषय :- विधान सभा के सप्तम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 668 /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री वासुदेव देवनानी (168) सदस्या राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधान सभा के सप्तम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 668/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री वासुदेव देवनानी (168) सदस्या राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर मय पूरक सूचना के साथ 3 दिवस में (निर्धारित प्रारूप) भिजवाने की व्यवस्था करावें।

1. राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की कितनी राशि फरवरी, 2010 से जुलाई, 2011 तक उपलब्ध करायी गई एवं कुल कितनी राशि वितरित की गई? कुल राशि एवं लाभान्वितों की संख्या जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उक्त अवधि में कितनी छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई व छात्रवृत्ति वितरित नहीं होने के क्या कारण रहे और भविष्य में वितरण में विलम्ब नहीं, हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नोट : बिन्दु संख्या 1 व 2 का प्रतिउत्तर संलग्न प्रारूप अ व ब में भी भिजवायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


अतिरिक्त निदेशक

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

क्रमांक प. 9 (4) () वि.प्र.सं.668/छात्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/63151-180 जयपुर, दिनांक 14-8-11
प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारियों को भेजकर लेख है कि उक्त प्रश्न को आपके जिले के सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं/ विभागों को भिजवाते हुए उक्त प्रश्न का प्रतिउत्तर 3 दिवस में संकलित कर विशेष वाहक के साथ निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।


सहायक निदेशक (शिक्षा)

बिन्दु संख्या 1 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'अ'

नाम जिला	छात्रवृत्ति का प्रकार	फरवरी 2010 से मार्च 2010				अप्रैल 2010 से मार्च 2011				अप्रैल 2011 से जुलाई 2011			
		नाह फरवरी 2010 में उपलब्ध बजट राशि	महा फरवरी 10 व मार्च 2010 में आवंटित राशि	माह फरवरी -मार्च 2010 में उपलब्ध कुल बजट	वितरित की गई राशि	लाभाब्जितों की संख्या	आवंटित राशि	वितरित की गई राशि	लाभाब्जितों की संख्या	आवंटित राशि	वितरित की गई राशि	लाभाब्जितों की संख्या	
	अनुसूचित जाति उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना												
	अनुसूचित जनजाति उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना												
	अनुसूचित जाति पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना												
	अनुसूचित जनजाति पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना												
	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना												
	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना												
	अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति												

बिन्दु संख्या 2 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'ब'

छात्रवृत्ति का प्रकार	फरवरी 2010 से मार्च 2010			अप्रैल 2010 से मार्च 2011			अप्रैल 2011 से जुलाई 2011		
	बकाया आवेदकों की संख्या	वितरित न की गई छात्रवृत्ति की राशि	वितरित न किये जाने का कारण	बकाया आवेदकों की संख्या	वितरित न की गई छात्रवृत्ति की राशि	वितरित न किये जाने का कारण	बकाया आवेदकों की संख्या	वितरित न की गई छात्रवृत्ति की राशि	वितरित न किये जाने का कारण
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना									
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना									
अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना									
अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना									
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना									
अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना									
अरबख्त कार्यों में निरत परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति									

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

कमांक एफ 9(4) विसप्र 1045/सान्याअवि/10/13233-13483

जयपुर दिनांक 19/2/2011

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
2. निदेशक, प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा जोधपुर/निदेशक संस्कृत शिक्षा, जयपुर
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
4. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
5. अधीक्षक/जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
6. प्राचार्य, मेडीकल कॉलेज
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग


विषय:- तेहरवीं विधान सभा के षष्ठम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 1045/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री ओम बिरला (24) माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का प्रतिउत्तर भिजवाने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1045/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री ओम बिरला (24) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्नों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर मय पूरक सूचना के शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करावे।

1. गांधी आरक्षी वर्ग के छात्रों के कितने-कितने आवेदन प्रदेश के किस-किस महाविद्यालय, महाविद्यालय, टी.टी. कॉलेज, आई टी आई कॉलेज, पोलोटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, पशु चिकित्सा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रकार के महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त हुए ? स्थानवार, जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. उक्त आवेदकों में से अब तक कौन कौन से संस्थानों के कितने कितने छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी जा चुकी है तथा कितने छात्रों को नहीं ? संस्थावार, जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।
3. अवशेष आवेदकों को अब तक छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी गई व इन्हें अब कब तक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।
4. क्या सरकार समस्त जाति संघर्ष के बीपीएल परिवार के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? सूचना प्रपत्र संलग्न है।

संलग्न :- अर्जुनपुर


अर्जुनपुर

प्रतिक्रिया:-

जिलाधिकारी (समस्त) --- को भेजकर अनुरोध है कि सभी संबंधित विभागों/राजकीय शिक्षण संस्थाओं (जिनको विभाग द्वारा सीधे बजट अंतर्गत किया जाता है) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा तीन दिवस में उक्त प्रश्न उत्तर सभी से संकलित कर तारक के माध्यम से निदेशक शिक्षण विभाग को भिजवाया जाए।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-371, अम्बेडकर भवन, राजगहन पैलेस होटल के पीछे

क्रमांक प. 9 (4) () वि.प्र.सं. 1045/सामाजिक/सा.न्या.एवं.अ.वि./10/14484-5/6 जयपुर, दिनांक 23.2.11
उप निदेशक/सहायक निदेशक/

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

विषय :- विधान सभा के षष्ठम् सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 1045/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री ओम बिरला (24) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बंध में पूरक सूचना तैयार रखने के सम्बंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 9 (4) विसं 1045/सान्याअवि/10/13233-13483 दिनांक 19.2.10

संदर्भ

उपरोक्त विषयवस्तुगत निवेदन है कि विधान सभा के षष्ठम् सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 1045/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री ओम बिरला (24) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बंध में निम्नांकित पूरक सूचना की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः पूर्व में भिजवाये गये प्रपत्र के साथ साथ उक्त अवधि में स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों में बीपीएल सहित अन्य प्राथमिकताओं के कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये तथा प्राथमिकताओं के अलावा कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये। तथा इसी प्रकार अवशेष आवेदन पत्रों में बीपीएल सहित अन्य प्राथमिकताओं के कितने आवेदन पत्र शेष रहे तथा अन्य कितने आवेदन पत्र शेष रहे। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या तथा अवशेष आवेदन पत्र के कॉलम के दो भाग कर सूचना तैयार रखनी है।

पूरक सूचना हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	विद्यालय/ कॉलेज/ संस्थान का प्रकार	विद्यालय/ कॉलेज/ संस्थान का नाम व स्थान	2008-09				2009-10							
			स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या		अवशेष आवेदन पत्र		स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या		अवशेष आवेदन पत्र					
			बीपीएल सहित प्राथमिकता वाले आवेदन पत्रों की संख्या	शेष स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	बीपीएल सहित प्राथमिकता वाले अवशेष आवेदन पत्रों की संख्या	प्राथमिकताओं के अलावा शेष आवेदन पत्रों की संख्या	बीपीएल सहित प्राथमिकता वाले आवेदन पत्रों की संख्या	शेष स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	बीपीएल सहित प्राथमिकताओं के अलावा शेष आवेदन पत्रों की संख्या	प्राथमिकताओं के अलावा शेष आवेदन पत्रों की संख्या				

उक्त सूचना पूरक सूचना के रूप में आवश्यक है। अतः आपके कार्यालय एवं आपके जिले की समस्त राजकीय शिक्षण संस्थाओं/ विभागों से सूचना संकलित कर पृथक से भिजवायें।

भवदीय


सहायक निदेशक (शिक्षा)

विधानसभा प्रश्न/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

- क्रमांक प. 9 (4) () वि.प्र.सं. 2963/छत्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/ 21-11-11 जयपुर, दिनांक 14/3/2011
1. निदेशक, पारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
 3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
 4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
 5. निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
 6. प्राचार्य, राजकीय कॉलेज, जिला
 7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक
 8. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज,
 9. प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक/ महिला पोलीटेक्निक कॉलेज,
 10. प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज,
 11. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवोक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विषय :- विधान सभा के षष्ठम् सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 2963/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री अनिल जैन (6), श्री ओम बिरला (24) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा के षष्ठम् सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 2963/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री अनिल जैन (6), श्री ओम बिरला (24) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर मय पूरक सूचना के साथ 3 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

1. राज्य में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया? वर्षवार एवं जिलेवार वितरण की गई छात्रवृत्ति की राशि तथा लाभान्वित छात्रों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. उक्त छात्रवृत्ति के लिए प्रतिवर्ष कितने छात्रों ने आवेदन किया तथा कितने छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार, जिलेवार आवेदकों की संख्या तथा कर्मचारियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

नोट : बिन्दु संख्या 1 व 2 का प्रतिउत्तर संलग्न प्रा.प. अ व ब में भिजवायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

क्रमांक प. 9 (4) () वि.प्र.सं. 2963/छत्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/ 21-11-11 जयपुर, दिनांक 14/3/2011
प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारियों को भेजकर लेख है कि उक्त प्रश्न को आपके जिले के सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं/ विभागों को भिजवाते हुए उक्त प्रश्न का प्रतिउत्तर 3 दिवस में संकलित कर विशेष वाहक के साथ निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सहायक निदेशक (शिक्षा)

विधान सभा के षष्ठम् सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 2963/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री अनिल जैन (6), श्री ओम बिरला (24) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना हेतु प्रारूप

खिन्डु संख्या 1 का प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'अ'

नाम योजना	वर्ष 2007-08		2008-09		2009-10	
	वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि	लाभान्वितों की संख्या	वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि	लाभान्वितों की संख्या	वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि	लाभान्वितों की संख्या
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति						
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						
अल्पसंख्यक मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति						
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						

विधान सभा के षष्ठम् सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 2963/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री अनिल जैन (6), श्री ओम बिरला (24) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना हेतु प्रारूप

बिन्दु संख्या 2 का प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'ब'

नाम योजना	वर्ष 2007-08			2008-09			2009-10			
	आवेदकों की संख्या	छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाये गये आवेदकों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	आवेदकों की संख्या	छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाये गये आवेदकों की संख्या	आवेदकों की संख्या	छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाये गये आवेदकों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	बकाया का कारण
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति										
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										
अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति										
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना										

R

विधानसभा प्रश्न/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल, पैलेस होटल के पीछे

- क्रमांक प. 9 (4) () वि.प्र.सं.3677/छत्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/ 19185-225 जयपुर, दिनांक 4-3-11
1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
 3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
 4. निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
 5. प्राचार्य, राजकीय कॉलेज, जिला
 6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक
 7. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज,
 8. प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक/ महिला पोलीटेक्निक कॉलेज,
 9. प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज,
 10. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विषय :- विधान सभा के षष्ठम् सत्र के अतार्यंकित प्रश्न संख्या 3677/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (57) सदस्या राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा के षष्ठम् सत्र के अतार्यंकित प्रश्न संख्या 3677/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (57) सदस्या राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर मध्य पूरक सूचना के साथ 3 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

1. राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कुल कितने छात्र विभिन्न स्कूल कॉलेजों (सरकारी एवं गैर सरकारी मध्य प्रोफेशनल कॉलेज) में कार्यरत हैं? पृथक पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. क्या सरकार को अनुसूचित/जनजाति अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति देरी से प्राप्त होये की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों का विवरण तथा देरी का स्वरूप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।
3. क्या सरकार समय पर छात्रवृत्ति वितरित कराने का प्रयास कर रही है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज पर रखें।
4. सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देरी से प्रदान करने वाले संस्थानों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

नोट : बिन्दु संख्या 4 का प्रतिउत्तर संलग्न प्रारूप अ में भिजवायें।
संलग्न: उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

क्रमांक प. 9 (4) () वि.प्र.सं.3677/छत्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/ 19226-260 जयपुर, दिनांक 4-3-11
प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारियों को भेजकर लेख है कि उक्त प्रश्न को आपके जिले के सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं/ विभागों को भिजवाते हुए उक्त प्रश्न का प्रतिउत्तर 3 दिवस में संकलित कर विशेष वाहक के साथ निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

विधान सभा के अंतरांगिक प्रश्न संख्या 3677/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (57) सदस्या राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप

विविध संख्या 1 का प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'अ'

जाति	स्कूल/महाविद्यालय का नाम	स्कूल/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या (वर्ष 2010-11 में प्राप्त छात्रों की संख्या 21)
अनुसूचित जाति		छात्र संख्या
अनुसूचित जनजाति		छात्रा संख्या
अन्य पिछड़ी जाति		

विविध संख्या 2 का प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'ब'

जाति	स्कूल/महाविद्यालय का नाम	देश से प्राप्त छात्रवृत्ति की प्राप्त शिकायत का विवरण	देश से प्राप्त छात्रवृत्ति का कारण	देश से प्राप्त हुई छात्रवृत्ति की शिकायत की छाया प्रति संलग्न करें
अनुसूचित जाति				
अनुसूचित जनजाति				

विविध संख्या 4 का प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'स'

देशी से छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले संस्थान का नाम

देशी से छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले संस्थान के विरुद्ध की गई कार्यवाही